राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल याचिका संख्या 5064/2024

रूघा राम पुत्र गुनेश राम, उम्र लगभग 46 वर्ष, निवासी ग्राम जाजीवाल खिचियान, तहसील व जिला जोधपुर, राजस्थान।

----अपीलार्थी

बनाम

1. भंवरा राम उर्फ भंवर लाल पुत्र रूपा राम, निवासी ग्राम जाजीवाल खिचियान, तहसील व जिला जोधपुर, राजस्थान।
2. श्रीमती मुनि पत्नी भंवरा राम उर्फ भंवर लाल, निवासी गांव जाजीवाल खिचियान, तहसील और जिला जोधपुर, राजस्थान।
3. उप पंजीयक (द्वितीय), जोधपुर, रजिस्ट्री कार्यालय, न्यायालय परिसर, जोधपुर, राजस्थान।
4. श्रीमती मीरा पत्नी गुनेश राम, निवासी गांव जाजीवाल खिचियान, तहसील और जिला जोधपुर, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री मनीष पटेल

प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री मुक्तेश माहेश्वरी

माननीय डॉ न्यायमूर्ति नूपुर भाटी

निर्णय

04/04/2024

रिपोर्ट करने योग्य

1. यद्यपि मामला नई श्रेणी में सूचीबद्ध है, तथापि पक्षों के वकीलों के संयुक्त अनुरोध पर मामले की सुनवाई आज ही की जा रही है।

2. यह रिट याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ दायर की गई है:-

"i) किसी उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश द्वारा; दिनांक 01.03.2024 के आदेश (अनुलग्नक-5) को कृपया रद्द किया जाए और अपास्त किया जाए।

ii) किसी उचित रिट, आदेश या निर्देश द्वारा; आदेश 32 नियम 4, 5, 15 सीपीसी की धारा 151 के साथ पढ़ते हुए याचिकाकर्ता के आवेदन (अनुलग्नक-3) को अनुमति दी जा सकती है।

iii) कोई अन्य उचित आदेश या निर्देश, जिसे यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त मानता है, याचिकाकर्ता के पक्ष में पारित किया जा सकता है;

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि परफॉर्मा प्रतिवादी संख्या 4-वादी ने अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन, उपहार विलेख को रद्द करने और उत्तरदाता-प्रतिवादियों के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा के लिए इस आधार पर मुकदमा दायर किया कि प्रतिवादी संख्या 1 के पास खसरा संख्या 121 में 14 बीघा 1 बिस्वा, खसरा संख्या 121/1 में 3 बीघा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 122 में 17 बीघा 19 बिस्वा और खसरा संख्या 122/1 में 12 बीघा और कुल भूमि 47 बीघा 12 बिस्वा की कृषि भूमि है, जो चक-1, पटवार मंडल जाजीवाल, तहसील और जिला जोधपुर में है, जिसे प्रतिवादी ने दिनांक 15.07.2021 के एक समझौते के माध्यम से याचिकाकर्ता को विवादित उपरोक्त भूमि 90 लाख रुपये की राशि में बेचने के लिए सहमति व्यक्त की। इसके बाद, उसी के अनुसरण में, वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से बिक्री विलेख निष्पादित करने का अनुरोध किया, जिसे प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अस्वीकार कर दिया गया और इस प्रकार, वादी ने उपर्युक्त मुकदमा (अनुलग्नक 1) दायर किया।

4. इसके बाद प्रतिवादी संख्या 1 और 2 ने एक संयुक्त लिखित बयान (अनुलग्नक 2) दायर किया और शिकायत में बताई गई सभी दलीलों से इनकार किया और मुकदमे की स्वीकार्यता के संबंध में प्रारंभिक आपत्तियां भी उठाईं।

5. वादी साक्ष्य के चरण में, याचिकाकर्ता ने वादी की वृद्धावस्था और मेडिकल परिस्थितियों के आधार पर वादी- परफोर्मा प्रतिवादी के रूप में अगले मित्र की नियुक्ति के लिए सीपीसी के आदेश 32 नियम 4, 5 और 15 के तहत दिनांक 07.02.2024 (अनुलग्नक 3) को एक आवेदन दायर किया। इसके बाद प्रतिवादी संख्या 1 और 2 ने उपर्युक्त आवेदन पर उत्तर (अनुलग्नक 4) दायर किया।

6. विद्वान ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन को दिनांक 01.03.2024 के आदेश (अनुलग्नक 5) द्वारा खारिज कर दिया। इस प्रकार

याचिकाकर्ता ने दिनांक 01.03.2024 के आदेश से व्यथित होकर यह रिट याचिका दायर की है।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि दिनांक 01.03.2024 का आदेश (अनुलग्नक 5) मनमाना अवैध है और आदेश 32 नियम 4 और 15 सीपीसी के तहत निर्धारित कानून के स्थापित प्रस्ताव के खिलाफ है, क्योंकि याचिकाकर्ता 88 वर्ष की एक वृद्ध महिला है, जिसकी ऐसी चिकित्सा स्थिति है कि वह शारीरिक और मानसिक रूप से अदालत में उपस्थित होने और अकेले मुकदमा लड़ने की स्थिति में नहीं है और इसलिए, उसके लिए एक अगले मित्र की नियुक्ति के लिए आवेदन को गलत तरीके से खारिज कर दिया गया था। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि ट्रायल कोर्ट में दायर किया गया मुकदमा वादी का खुद का है और इस प्रकार यदि ट्रायल कोर्ट द्वारा अगले मित्र की नियुक्ति की जाती है तो प्रतिवादी को कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि यदि कोई देरी होती है तो इसका असर केवल वादी पर पड़ेगा।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने यह भी कहा कि वादी मानसिक रूप से अस्वस्थ है और इस स्थिति में न्यायालय को अभिभावक नियुक्त करने का अधिकार है, जब वह मानसिक रूप से कमज़ोर होने के कारण मुकदमा दायर करने या मुकदमा किए जाने पर अपने अधिकारों की रक्षा करने में असमर्थ हो, इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा आदेश 32 के तहत दायर आवेदन को स्वीकार किया जाना चाहिए। आदेश 32 नियम 4 और 15 सीपीसी के प्रावधानों को नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

> "आदेश XXXII- नाबालिगों और अस्वस्थ दिमाग वाले व्यक्तियों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद
>
> 4. वाद के लिए अगला मित्र या नियुक्त संरक्षक कौन हो सकता है-
>
> (1) कोई भी व्यक्ति जो स्वस्थ दिमाग का है और वयस्क हो चुका है, वह नाबालिग के अगले मित्र या वाद के लिए उसके संरक्षक के रूप में कार्य कर सकता है: बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति का हित नाबालिग के हित के प्रतिकूल न हो और वह अगले मित्र के मामले में प्रतिवादी न हो या वाद के लिए संरक्षक के मामले में वादी न हो।
>
> (2) जहां नाबालिग के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त या घोषित संरक्षक है, ऐसे संरक्षक के अलावा कोई अन्य व्यक्ति नाबालिग के अगले मित्र के रूप में कार्य नहीं करेगा या वाद के लिए उसका संरक्षक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि न्यायालय रिकॉर्ड किए जाने वाले

कारणों से यह न समझे कि नाबालिग के कल्याण के लिए किसी अन्य व्यक्ति को कार्य करने या नियुक्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए, जैसा भी मामला हो।

(3) किसी व्यक्ति को उसकी (लिखित) सहमति के बिना वाद के लिए संरक्षक नियुक्त नहीं किया जाएगा।

(4) जहां वाद के लिए संरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए कोई अन्य व्यक्ति योग्य और इच्छुक नहीं है, वहां न्यायालय अपने किसी अधिकारी को ऐसा संरक्षक नियुक्त कर सकता है, तथा निर्देश दे सकता है कि ऐसे अधिकारी द्वारा ऐसे संरक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों के पालन में किए जाने वाले व्यय का वहन या तो पक्षकारों द्वारा या वाद के किसी एक या अधिक पक्षकारों द्वारा किया जाएगा, या न्यायालय में किसी निधि से, जिसमें अवयस्क हितबद्ध है [या अवयस्क की संपत्ति से] किया जाएगा, तथा वह ऐसे व्ययों की प्रतिपूर्ति या भत्ते के लिए निर्देश दे सकता है, जैसा न्याय और मामले की परिस्थितियों की अपेक्षा हो।

15. नियम 1 से 14 (नियम 2ए को छोड़कर) विकृतचित्त व्यक्तियों पर लागू होंगे - नियम 1 से 14 (नियम 2ए को छोड़कर) जहां तक संभव हो, उन व्यक्तियों पर लागू होंगे जिन्हें मुकदमे के लंबित रहने से पहले या उसके दौरान विकृतचित्त माना गया है और उन व्यक्तियों पर भी लागू होंगे जिन्हें, यद्यपि ऐसा नहीं माना गया है, लेकिन जांच के बाद न्यायालय द्वारा यह पाया जाता है कि वे किसी मानसिक दुर्बलता के कारण मुकदमा दायर किए जाने के दौरान अपने हितों की रक्षा करने में असमर्थ हैं।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने अपने तर्कों के समर्थन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कस्तूरी बाई एवं अन्य बनाम अंगुरी चौधरी (सिविल अपील संख्या 818/2001) मामले में दिनांक 05.02.2003 को पारित निर्णय का हवाला दिया है।

9. इसके विपरीत, प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि 25.11.2022 को ट्रायल कोर्ट द्वारा मुद्दे तैयार किए गए थे और तब से वादी का साक्ष्य लंबित है, उसके बाद वादी को हलफनामे पर साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था जिसका वादी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि 12.03.2023 को ट्रायल कोर्ट ने एक आदेश पारित किया कि, साक्ष्य दाखिल करना वादी का कर्तव्य है और वादी को अदालत में उपस्थित होना

चाहिए और साक्ष्य दाखिल करना चाहिए और प्रतिवादियों को इसकी प्रति देनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि 3.11.2023 को पुनः वादी को 1000/- रुपये की लागत का भुगतान करने के पश्चात 17.11.2023 को साक्ष्य दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया गया तथा इसके बावजूद वादी द्वारा साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया तथा इसके पश्चात वादी ने 17.12.2023 को साक्ष्य दाखिल किया। उन्होंने यह भी कहा कि वादी 5.01.2024 को न्यायालय में उपस्थित नहीं था, जिसके लिए वादी पर 1500/- रुपये की लागत लगाई गई, तथापि याचिकाकर्ता आवेदक, वादी के पुत्र, जो न तो मुकदमे का पक्षकार है और न ही वादी का अभिभावक है, द्वारा 07.02.2024 को एक आवेदन दाखिल किया गया, इस प्रकार याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल आवेदन को सही रूप से खारिज कर दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि मुकदमे के लंबित रहने के दौरान कभी भी यह उल्लेख नहीं किया गया कि वादी मानसिक दुर्बलता या विकार से पीड़ित है और याचिकाकर्ता द्वारा केवल अदालती कार्यवाही में देरी करने के लिए आवेदन दायर किया गया है।

10. प्रतिवादी के विद्वान वकील ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर किया गया मुकदमा अवैध और दुर्भावनापूर्ण है और जैसा कि उल्लेख किया गया है, एग्रीमेंट भी जाली है जो साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा वादी-परफॉर्मा प्रतिवादी की उम्र और चिकित्सा स्थितियों को साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया गया है और इस प्रकार याचिकाकर्ता का यह दावा कि वादी-परफॉर्मा प्रतिवादी एक बूढ़ी महिला है और शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, झूठा और निराधार है।

अपने तर्कों के समर्थन में प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय की जयपुर पीठ की समन्वय पीठ द्वारा राधेश्याम एवं अन्य बनाम महंत घनश्याम दास एवं अन्य (एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 12599/2019) के मामले में पारित निर्णय पर भरोसा किया, जो 7.08..2018 को निर्णीत हुआ।

11. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया; अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री तथा बार में उद्धृत निर्णयों का अवलोकन किया गया।

12. आदेश XXXII नियम 15 सीपीसी के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है, जिसमें जांच अनिवार्य है तथा कहा गया है कि मुकदमे के लंबित रहने से पहले या उसके दौरान जिन व्यक्तियों को अस्वस्थ मान लिया गया है, तथा जिन व्यक्तियों को, यद्यपि ऐसा नहीं माना गया है, परन्तु जांच में न्यायालय द्वारा पाया गया है कि वे किसी मानसिक दुर्बलता के कारण मुकदमा

करते समय या मुकदमा किए जाने पर अपने हितों की रक्षा करने में असमर्थ हैं, तथापि याचिकाकर्ता द्वारा यह तर्क दिए जाने के बावजूद कि वादी अस्वस्थ मान लिया गया है, ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा आदेश XXXII के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित जांच किए बिना ही नियम 4, 5 तथा 15 सीपीसी के अंतर्गत दायर आवेदन को खारिज कर दिया है।

13. दिनांक 01.03.2024 के आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक 5) से यह भी देखा गया है कि ट्रायल कोर्ट ने पाया है कि याचिकाकर्ता ने सीपीसी के आदेश XXXII नियम 4, 5 और 15 का हवाला इस आधार पर दिया है कि वादी वृद्ध, अशिक्षित व्यक्ति है, ग्रामीण पृष्ठभूमि से है और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है और जिसके आधार पर वह मुकदमा करते समय या मुकदमा किए जाने पर अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम नहीं है, हालांकि याचिकाकर्ता द्वारा दायर दिनांक 07.02.2024 के आवेदन (अनुलग्नक 3) के अवलोकन पर इसमें स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है कि वह मानसिक विकार और दुर्बलता से पीड़ित है और मानसिक रूप से कमजोर है और इस प्रकार मामले में अपने हितों की रक्षा नहीं कर सकती है और इस प्रकार उसने एक अन्य अधिवक्ता नियुक्त करने का अनुरोध किया है, हालांकि ट्रायल कोर्ट ने वादी द्वारा की गई देरी की रणनीति के आधार पर उपरोक्त आवेदन को खारिज कर दिया है और ट्रायल कोर्ट का यह अवलोकन कायम नहीं रह सकता क्योंकि वादी अर्थात याचिकाकर्ता की मां द्वारा स्वयं मुकदमा दायर किया गया था और यदि देरी होती है तो वादी को स्वयं इसका खामियाजा भुगतना होगा।

14. नाबालिग व्यक्ति या अस्वस्थ दिमाग वाले व्यक्ति की ओर से मुकदमे के प्रतिनिधित्व और अभियोजन के बारे में प्रावधान सीपीसी के आदेश 32 में बताए गए हैं और इसलिए, पहली बार में यह न्यायालय सीपीसी के प्रावधानों को संदर्भित करता है। उस संबंध में, प्रचलित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए जब वादी को अस्वस्थ दिमाग वाला व्यक्ति होने का आरोप लगाया जाता है। यह भी देखा गया है कि आदेश 32 सीपीसी के नियम 1 से 14 उस प्रक्रिया से संबंधित हैं जिसका पालन तब किया जाना चाहिए जब वादी नाबालिग हो। पक्षकारों में से एक के मामले में जो अस्वस्थ दिमाग वाला व्यक्ति हो सकता है, प्रक्रिया आदेश 32 सीपीसी के नियम 15 में निर्धारित की गई है, जिसे ऊपर पुनः प्रस्तुत और संदर्भित किया गया है।

15. उपरोक्त नियम दो प्रकार के मामलों पर विचार करता है, अर्थात पहली श्रेणी वह है जिसमें किसी व्यक्ति को पहले से ही मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित

किया गया है, जो सीपीसी के नियम 15 के अंतर्गत आता है। हालांकि, ऐसे मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति भी हो सकते हैं, जिन्हें न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित नहीं किया गया है और ऐसे मामले में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर इस न्यायालय द्वारा विचार किया जाना अपेक्षित है। इसके अलावा, ऊपर उद्धृत नियम 15 के दूसरे भाग के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसे पहले से ही मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित नहीं किया गया है, यह पता लगाने के लिए जांच की जानी आवश्यक है कि क्या मानसिक रूप से अस्वस्थ या शारीरिक रूप से दुर्बल होने के कारण संबंधित व्यक्ति मुकदमा दायर करने या मुकदमा दायर किए जाने पर अपने हितों की रक्षा करने में असमर्थ है।

16. वर्तमान मामले में, मूल वादी/प्रतिवादी संख्या 4 को विकृत दिमाग का नहीं माना गया है। इस प्रकार, मूल वादी का मामला स्पष्ट रूप से नियम 15 सीपीसी के दूसरे भाग के अंतर्गत आता है और इस प्रकार ऐसे मामले में, अदालत को यह जांच करनी होगी कि क्या वह वास्तव में विकृत दिमाग की है।

17. विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित 01.03.2024 के आदेश (अनुलग्नक-5) के अवलोकन पर, यह न्यायालय पाता है कि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने यह देखने के लिए कोई जांच नहीं की है कि मूल वादी/प्रतिवादी संख्या 4 किसी मानसिक विकृति से पीड़ित है या नहीं और वह अपने हितों की रक्षा करने या अपने द्वारा दायर मुकदमे को लड़ने की स्थिति में है या नहीं है। विद्वान ट्रायल कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आवेदक ने यह साबित करने के लिए कोई मेडिकल प्रमाण पत्र रिकॉर्ड पर नहीं रखा है कि मूल वादी मानसिक रूप से विकृत है और अपने हितों की रक्षा करने में असमर्थ है। इसके अलावा, विद्वान ट्रायल कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आवेदक/याचिकाकर्ता द्वारा मामले के निर्णय में देरी करने के उद्देश्य से आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जबकि यह देखा गया है कि वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न अवसर प्रदान करने के बावजूद, वादी साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रही और उसके बाद 03.11.2023 को वादी को ऐसा अवसर प्रदान किया गया और उस पर 1000/- रुपये का जुर्माना लगाया गया, हालांकि, वादी साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रही। 05.01.2024 को पहले दिए गए अवसरों को दोहराते हुए उसे साक्ष्य प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर प्रदान करते हुए 1500/- रुपये का जुर्माना भी लगाया गया और उसके बाद ही आदेश 32 नियम 15 सीपीसी के तहत आवेदन दायर किया गया।

18. याचिकाकर्ता द्वारा आदेश 32 नियम 4, 5 और 15 के साथ धारा 151 सीपीसी के तहत प्रस्तुत आवेदन से यह देखा गया है कि मूल वादी अपनी उम्र के कारण मानसिक और शारीरिक दुर्बलता से पीड़ित है और मनोचिकित्सा उपचार भी ले रही है, जिसके लिए कुछ नुस्खे दिखाए गए थे; हालांकि आवेदक/याचिकाकर्ता संबंधित डॉक्टर से कोई प्रमाण पत्र अदालत के समक्ष पेश करने में विफल रही, जिससे मूल वादी उपचार ले रही थी। हालांकि, विद्वान ट्रायल कोर्ट पर यह अनिवार्य था कि वह उक्त मामले में जांच करे ताकि यह पता लगाया जा सके कि मूल वादी किसी अस्वस्थता या मानसिक दुर्बलता से पीड़ित है, जिसके कारण वह अपने हितों की रक्षा करने और मुकदमा लड़ने में असमर्थ होगी।

19. इस न्यायालय को लगता है कि कस्तूरी बाई (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि यदि न्यायालय द्वारा जांच में पाया जाता है कि कोई व्यक्ति किसी मानसिक दुर्बलता के कारण मुकदमा दायर करते समय या मुकदमा किए जाने पर अपने हितों की रक्षा करने में असमर्थ है, तो उसके तहत उचित आदेश पारित किया जा सकता है। उक्त निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ यहां निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:-

> "11. उक्त प्रावधान के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि न्यायालय को संरक्षक नियुक्त करने का अधिकार है, यदि किसी व्यक्ति को मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित किया जाता है। इसमें आगे यह भी प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति को मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित नहीं किया जाता है, लेकिन जांच के दौरान न्यायालय द्वारा यह पाया जाता है कि वह किसी मानसिक दुर्बलता के कारण मुकदमा दायर करते समय या मुकदमा किए जाने पर अपने हितों की रक्षा करने में असमर्थ है, तो उसके तहत उचित आदेश पारित किया जा सकता है। प्रतिवादी ने यह तर्क नहीं दिया कि अपीलकर्ता संख्या 1 मानसिक रूप से अस्वस्थ है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, प्रतिवादी ने स्वयं इस आशय की जांच के लिए ट्रायल कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर किया था कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है।
>
> 12. विद्वान ट्रायल कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और मामले के इस दृष्टिकोण से, उच्च न्यायालय, हमारी राय में, उक्त आदेश को रद्द करते हुए, केवल विद्वान ट्रायल जज को

निर्देश देने के लिए निर्देश जारी कर सकता है कि वह जांच करे ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि क्या प्रतिवादी किसी मानसिक दुर्बलता के कारण अपने हितों की रक्षा करने में असमर्थ है या नहीं। चूंकि ऐसी कोई जांच नहीं की गई थी, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने विवादित निर्णय पारित करने में क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि की है, जिसे डिवीजन बेंच ने पूर्व में उल्लेखित रूप से बरकरार रखा है।

13. उपर्युक्त कारणों से, आक्षेपित निर्णयों को अपास्त किया जाता है तथा मामले को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 32 नियम 15 के अनुसार तथा इसके पूर्व की गई टिप्पणियों के आलोक में नए सिरे से विचार करने के लिए विद्वान ट्रायल न्यायाधीश को भेजा जाता है।

20. मायाधर सामंत बनाम बीराबर कुंअर के मामले : 1961 (3) ओजेडी 259, में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया:

"कानून में स्थापित स्थिति यह है कि इस तरह के मामले में किसी पक्ष की कथित पागलपन के प्रश्न के निर्धारण के लिए, यह आवश्यक माना जाता है कि जिस पक्ष को पागल माना जाता है, उसकी एक चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा जांच की जाए और उससे एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए कि क्या वह अपने हितों की रक्षा करने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ है; न्यायालय को व्यक्ति की कथित मानसिक दुर्बलता के बारे में जांच करनी चाहिए और उसके लिए अभिभावक नियुक्त करने से पहले इस निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि कथित कृत्य उचित है।"

21. इसके अलावा, मोहम्मद इब्राहिम बनाम शेख मोहम्मद: एआईआर 1949 मैड 292 के एक अन्य मामले में, माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि न्यायालयों के पास यह पता लगाने की अंतर्निहित शक्तियाँ हैं कि वादी स्वस्थ या अस्वस्थ दिमाग का व्यक्ति है, भले ही प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए जाँच की अनुमति अगले मित्र को दी गई हो। यह मुद्दा वादी और प्रतिवादी के बीच एक खुला मुद्दा है और न्यायालय के पास उस मुद्दे को तय करने की पर्याप्त शक्ति है, अगर किसी भी पक्ष ने अपनी दलीलों में इसे उठाया है। जैसा कि ऊपर चर्चा की

गई है और इस न्यायालय द्वारा जांचे गए निर्णयों में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि कोई चुनौती खारिज कर दी जाती है तो न्यायालय के पास अगले मित्र की प्रस्तुतियों की सत्यता की जाँच करने की शक्ति है।

22. वर्तमान मामले में, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने व्यावहारिक रूप से जांच नहीं की है, जब आवेदक/याचिकाकर्ता द्वारा यह मुद्दा उठाया गया था कि क्या मूल वादी/प्रतिवादी संख्या 4 वास्तव में अस्वस्थ दिमाग का व्यक्ति था और जांच करने के बजाय, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने यह मान लिया कि आदेश 32 नियम 15 सीपीसी के तहत आवेदन मुकदमे के न्यायनिर्णयन में देरी करने के लिए दायर किया गया है।

23. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, यह न्यायालय रिट याचिका को स्वीकार करता है। विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश संख्या 7, जोधपुर मेट्रोपोलिटन, जोधपुर द्वारा पारित दिनांक 01.03.2024 के आदेश (अनुलग्नक 5) को निरस्त किया जाता है और अपास्त किया जाता है। मामले को विद्वान ट्रायल कोर्ट को इस निर्देश के साथ वापस भेजा जाता है कि आदेश 32 नियम 15 सीपीसी के तहत जांच की जाए और यह तय किया जाए कि क्या वादी मानसिक रूप से अस्वस्थ है, अर्थात क्या वह किसी मानसिक दुर्बलता के कारण मुकदमा करते समय या मुकदमा किए जाने पर अपने हितों की रक्षा करने में असमर्थ है। तदनुसार, पक्षों को 25.04.2024 को विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है और उसके बाद विद्वान ट्रायल कोर्ट पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बाद आदेश 32 नियम 15 सीपीसी के तहत आवेदन पर शीघ्रता से निर्णय लेगा और उसके बाद मुकदमे का फैसला करेगा। स्थगन याचिका तथा विविध आवेदन, यदि कोई हो, का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

(डॉ. नूपुर भाटी),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।